Form no. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

जीत कौर पत्नी प्रेम सिंह जाति बावरी निवासी 1 एसजेएम बी तहसील अनूपगढ़

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व अनूपगढ

किस्म मुकदमा:—अपील अन्तर्गत धारा 75 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण सं.—22 / 2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
08.07.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील अपीलांट श्री तिलक राज चुघ व पैरोकार राज हाजिर। बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 1 एसजेएम बी का मुरब्बा न. 250 / 381 के किला न. 4, 5 की 0.506 है0 कमाण्ड़ व किला न. 3 के 0.253 है0 अनकमाण्ड़ कुल 0.759 है0 कमाण्ड / अनकमाण्ड़ रकबा राज अपीलांट की कृषि भूमि के चिपती होने पर समस्त जांच कर उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा दिनांक 25.10.2011 को उक्त रकबा अपीलांट को स्मालपेच में आवंटन कर दिया गया । जिसकी प्रथम किश्त जरिये चालान संख्या 648 दिनांक 31.10.2011 को अपीलांट द्वारा खजाना राज में जमा करवा दी गई। उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 25.10.2011 के प्रकाश में अपीलांट द्वारा इंतकाल हेतु आवेदन करने पर संबंधित पटवारी हल्का द्वारा इंतकाल संख्या 126 दर्ज कर तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ के समक्ष पेश किया जिस पर हल्का गिरदावर यह रिपोर्ट की गई कि दो बार एक ही व्यक्ति को आवंटन है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस आधार पर अपीलांट के नाम का नामांतरण खारिज कर दिया गया। जैर अपीलाधीन भूमि उप जिला कलक्टर, अनूपगढ़ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 25.10.2011 द्वार अपीलांट को स्मालपेच आवंटन की गई थी। यदि उक्त निर्णय में कोई त्रुटि हुई है तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ को इसकी अपील माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दिये अपने ही कयासो के आधार पर क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर इंतकाल संख्या 116 दिनांक 04.3.2013 को खारिज कर दिया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अपीलांट की पीठ के पीछे पारित किया गया है, जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलांट को दिनांक 05.02.2014 को पटवारी हल्का से अपने नामांतरण की कार्यवाही के संबंध में पता करने पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपीलांट एक सदभावी काश्तकार हैं। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अनूपगढ़ का निर्णय दि. 04.3.2013 निरस्त किया जावे । पैरोकार राज ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ के आवंटन आदेश दिनांक 25.10.2011 एवं आदेश कमांक 1447 दिनांक 27.8.07 में कमशः 0.759 है0 एवं 0.987 है0 रकबा इसी मुरब्बा न. का दो बार एक ही व्यक्ति को आवंटन है तथा इस प्रकार स्मालपेच सीमा से रकबा आवंटन करवाय है जो नियम विरूद्व है। जैर अपील निर्णय सही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे। हमने बहस उभय पक्षकारान ध्यानपूर्वक सुनी तथा उस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील में देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है जिस पर रेस्पोडेंट ने न तो कोई जवाब पेश किया तथा न ही लिखित बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar

Date: 2023.01.03 14:39:59 IST

Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर

सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

F:\form no. 3.doc

Scanned by CamScanner

पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा दर्ज किये गये इंतकाल संख्या 116 पर गिरदावर द्वारा यह अंकित किया गया कि उपजिला कलक्टर अनूपगढ़ के आवंटन आदेश दिनांक 25.10.2011 एवं आदेश कमांक 1447 दिनांक 27.8.07 में कमशः 0.759 है0 एवं 0.987 है0 रकबा इसी मुरब्बा न. का दो बार एक ही व्यक्ति को आवंटन है तथा इस प्रकार स्मालपेच सीमा से रकबा आवंटन करवाया जिसे आधार मानकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा इंतकाल पर यह अंकित कर कि 'प्रार्थी द्वारा स्मालपेच दो बार अलग–अलग करवाया है, जो नियम विरूद्व है" नामांतरण खारिज कर दिया। पटवारी हल्का द्वारा उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ के आदेशों की पालना में ही इंतकाल दर्ज किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ को उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ के निर्णय के विरूद्व सक्षम न्यायालय में अपील की जानी चाहिए थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा पारित आलौच्य आदेश क्षेत्राधिकार विहीन है जिसे कायम रखा जाना उचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का आदेश दिनांक 04.3.2013 खारिज किया जाता है। तहसीलदार अनूपगढ़ यदि उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ के आवंटन आदेश को नियम विरूद्व समझते है तो सक्षम न्यायालय में अपील करने हेतु स्वंतत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड निर्णय प्रति सहित लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:59 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner